



दूरभाष:- 0522-286709, 286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक- 1973 / 241 / NULM / तीन / 2001-Vol-II

दिनांक- 10/8/15

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०।
2. समस्त नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर,
नगर निगम, उ०प्र०।

विषय : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम आयोजन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के समस्त घटकों के माध्यम से सम्पूर्ण शहर के शहरी गरीबों को सहायता उपलब्ध कराते हुए उनकी आजीविका में सुधार एवं स्थाई आजीविका के लिए लघु उद्यम, स्वयं सहायता समूह, कौशल प्रशिक्षण पथ विक्रेताओं को सहायता, बेघरों को शेल्टर उपलब्ध कराया जाना है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शहरी गरीबों/लाभार्थियों तक मिशन के घटकों की जानकारी एवं संबंधित घटक से किस प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सके इसकी सूचना/जानकारी उपलब्ध कराया जाना एवं जागरूक किया जाना अपरिहार्य है।

शहरी गरीबों/लाभार्थियों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटकों का लाभ उपलब्ध कराने हेतु चयनित शहरों में मेला/जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिमाह आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इन रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शहर मिशन प्रबंधन इकाई (सी०एम०एम०यू०) के द्वारा डूडा एवं संबंधित नगर निकाय के सहयोग से किया जायेगा।

नगर निगम वाले शहरों में प्रत्येक जोन, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत वाले शहरों, आवश्यकतानुसार या न्यूनतम एक जगह रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इन रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम में रिसोर्स आर्गनाइजेशन (आर०ओ०), शहरी आजीविका केन्द्र (सी०एल०सी०), कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एस०टी०पी०) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाये। इन रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम हेतु आयोजन की तिथि पहले से निर्धारित करते हुए उस क्षेत्र/जोन में इसका प्रचार किया जाये और रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम द्वारा संभावित लाभार्थियों को चिन्हित किया जाये। कार्यक्रम स्थल पर व्यक्तिगत/समूह ऋण के फार्म, कौशल प्रशिक्षण के फार्म, स्वयं सहायता

समूह गठन से संबंधित जानकारी, शहरी आजीविका केन्द्र में उपलब्ध सेवाओं का विवरण, शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे के संबंध में सूचनाएं/फार्म, बेघरों हेतु शेल्टर की जानकारी इत्यादि उपलब्ध कराई जाये। संबंधित बैंकों से वार्ता कर बैंक के प्रतिनिधियों को भी रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये ताकि बैंक में खाता खोले जा सकें एवं अन्य जानकारीयां लाभार्थियों को प्राप्त हो सके।

100 व्यक्तियों के लिए प्रति शिविर में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्नवत है :-

जलपान	-	रु0 1500.00
दरी, मेज व कुर्सी	-	रु0 1500.00
फोटोग्राफी, बैनर व अन्य व्यवस्था	-	रु0 1500.00
कुल योग	-	रु0 4500.00

उक्त धनराशि का व्यय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत आई0ई0सी0 मद से किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों के चिन्हिकरण एवं संवेदित करने हेतु रोजगार मेला/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन शीघ्रता एवं समयबद्ध तरीके से किया जाये। आयोजित किये गये रोजगार मेले/जागरूकता कार्यक्रम का दो पेज का विवरण प्रत्येक माह की एम0पी0आर0 के साथ राज्य शहरी आजीविका मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि-

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. वेब मास्टर सूडा को, सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक